न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी , आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री दलपत सिंह पुत्र संतोष कंवर, जाति राजपुत, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 8		दला पुत्र भगाजी , जाति माली, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 5

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022

दिनांक 23.10.2023

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में प्रार्थी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 187 क्षेत्रफल 0.5817 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं खसरा नंबर 188 क्षेत्रफल 0.3161 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि मौजा ग्राम किवरली में प्रार्थी संख्या 04 व 05 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 173 क्षेत्रफल 0.5564 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि मौजा ग्राम किवरली में प्रार्थी संख्या 06 व 07 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 172 क्षेत्रफल 0.1517 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का किवरली में प्रार्थी संख्या 08 से 9 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 170/1428 क्षेत्रफल 0.2782 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी संख्या 01 से 9 के खातेदारी की उपरोक्त अलग–अलग कृषि भूमियों से लगते हुए अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 1483/171 क्षेत्रफल 0.5058 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है तथा उससे लगते हुए अप्रार्थी संख्या 05 की खसरा संख्या 1854/167 क्षेत्रफल 2.3898 हैक्टैयर कृषि भूमि स्थित है जिसके आगे से सर्विस रोड़ निकलता है, जो किवरली गांव में एवं आबूरोड–सिरोही जाने वाली मुख्य डामर सड़क पर मिलता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमियो में कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थी के पास कोई सरल व सुगम मार्ग उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थना पत्र मार्ग प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। यह कि प्रार्थीगण को उनके निर्बाध व निरन्तर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खातेदारी की खसरा संख्या 1483/171 एवं 1854/167 की कृषि भूमि में से न्युनतम 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। अप्रार्थी सं. 1,2,3,5 व 6 के नोटिस तामिल शुदा पेश होने पर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 18.01.2023 को अप्रार्थी सं. 5 ग्राम पंचायत किवरली बाद तामिल अनु. होने के कारण अप्रार्थी सं. 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 11.01.2023 को तहसीलदार देलदर के जरिये पत्रांक 1697 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा खेतो में पहुंच हेतु नेशनल हाईवे से ग्राम पंचायत की खातेदारी [illegible] प्रार्थीगण सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा गया है। [illegible] होकर आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा नेशनल हाईवे से रास्ता मांगा [illegible] है वहां पर कृषि भूमि एवं हाईवे के बीच ढलान की स्थिति है। दिनांक [illegible] प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी [illegible] 1, 2 व 3 अधिवक्ता ने कथन किया कि राजीनामा हो चुका है, पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी सं. 5 ग्राम पंचायत किवरली के खातेदारी की खसरा संख्या 1854/167 में से 30 फुट रास्ता चाहा गया है, जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में खसरा संख्या 1483/171 से नेशनल हाईवे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy.
Date: 2024.01.09 17:49:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आबूपर्वत (सिरोही)

बीच सीधी लाल लाईन में दर्शाया गया है जो नक्शे में खसरा संख्या 169/2 के उत्तर में है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड़ के जरिये पत्रांक/पसआ/पं.शा./2023-24/929 दिनांक 20.10.2023 में अंकन है कि कार्यालय ग्राम पंचायत किवरली के पत्रांक/31 दिनांक 18.10.2023 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम पंचायत किवरली बैठक प्रस्ताव सं. 05/22.09.2023 में उपस्थित कोरम ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व कृषि भूमि में से खसरा नं. 169/2 के सम्पर्क कि पंचायत कि कृषि भूमि से आवेदन अनुसार रास्ता दिया जावे तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है यह निर्णय ग्राम पंचायत बैठक प्रस्ताव सं. 5/22.09.2023 द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर दस्तावेजो का अध्ययन किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 5 ग्राम पंचायत किवरली के खातेदारी की खसरा संख्या 1854/167 में से 30 फुट रास्ता चाहा गया है, जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में खसरा संख्या 1483/171 से नेशनल हाईवे के बीच सीधी लाल लाईन में दर्शाया गया है जो नक्शे में खसरा संख्या 169/2 के उत्तर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में उक्त खसरा नं. 1854/167 की भूमि होने से, स्टेट के जवाब के अनुसार प्रार्थीगणों के खेतो में पहुंचने हेतु सीधा मार्ग नही होने से तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति आबूरोड़ के जरिये पत्रांक/पसआ/पं.शा./2023-24/929 दिनांक 20.10.2023 में अंकनानुसार ग्राम पंचायत की स्वामित्व कृषि भूमि में से खसरा नं. 169/2 के सम्पर्क कि पंचायत की कृषि भूमि से आवेदन अनुसार रास्ता दिया जावे तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है अतः खसरा संख्या 1854/167 में से 30 फिट रास्ता दिया जा सकता है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व अधिकारी प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 1854/167 में से 13860 वर्गफीट अर्थात 0.1288 हैक्टेयर भूमि का रास्ता जो खातेदारी में दर्ज है। ग्राम किवरली की वर्तमान डीएलसी दर 1969920/- रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 13860 वर्गफीट अर्थात 0.1288 हैक्टेयर भूमि के मूल्यांकन 253726/- रूपये की दो गुना भुगतान राशि 507452/- रूपये होती है। प्रस्तावित रास्ता कायम करते हुए रास्ते का सार्वजनिक रूप से उपयोग हेतु नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व अधिकारी पत्र संख्या 495 दिनांक 19.06.2023 के अनुसार खातेदार को नियमानुसार राशि का भुगतान करवाते हुए रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करेंगे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

आदेश आज दिनांक 23.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:49:23 IST
Reason: SelfAttested